<u>प्रेस प्रकाशनी</u>

सोमवार, 22 फरवरी, 2010 को आरंभ हुए संसद के बजट सत्र, 2010 को शुक्रवार, 7 मई, 2010 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

2. यह सत्र दो भागों में आयोजित हुआ था। पहले भाग में, दोनों सदनों की बैठकें 22 फरवरी से 16 मार्च, 2010 तक आयोजित हुई। दोनों सदनों की बैठकें सत्र के दूसरे भाग के दौरान 15 अप्रैल से 7 मई, 2010 तक आयोजित हुई। लोक सभा और राज्य सभा में 17 मार्च से 14 अप्रैल, 2010 तक मध्यावकाश रहा ताकि विभागीय स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदान मांगों की जांच कर सकें और सदन में अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर सकें।

3. सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 32 बैठकें हुई – 15 बैठकें पहले भाग के दौरान तथा 17 बैठकें दूसरे भाग के दौरान।

4. बजट सत्र, 2010, वर्ष का प्रथम सत्र होने के कारण, 22 फरवरी, 2010 को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87(1) की शर्तों के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण दिया और सत्र बुलाने के कारणों की संसद को सूचना दी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, लोक सभा में श्री इंद्रजीत सिंह राव द्वारा प्रस्तावित और कु. मीनाक्षी नटराजन द्वारा अनुमोदित किया गया। राज्य सभा में इसे श्री पी.जे. कुरियन द्वारा प्रस्तावित और श्री संतोष बागड़ोदिया द्वारा अनुमोदित किया गया। सत्र के पहले भाग के दौरान दोनों सदनों द्वारा इस पर चर्चा की गई और इसे स्वीकार किया गया।

5. सत्र के दौरान मुख्य रूप से वर्ष 2010-11 के लिए रेल और सामान्य बजटों से संबंधित वित्तीय कार्य निष्पादित किया गया। सत्र के पहले भाग के दौरान, वर्ष 2010-11 के लिए रेल बजट संसद में बुधवार, 24 फरवरी, 2010 को प्रस्तुत किया गया और वर्ष 2010-11 के लिए सामान्य बजट गुरूवार, 26 फरवरी, 2010 को प्रस्तुत किया गया।

6. दोनों सदनों में रेल और सामान्य बजटों पर सामान्य चर्चा हुई। लोक सभा में रेल और सामान्य बजटों से संबंधित लेखानुदान मांगों और अनुपूरक अनुदान मांगों पर भी चर्चा और मतदान हुआ। सत्र के पहले भाग के दौरान, इन मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया, उन पर विचार किया गया और पारित किया गया तथा इसके पश्चात राज्य सभा द्वारा इन्हें लौटाया गया।

7.	सत्र के दूसरे भाग के दौरान, लोक सभा द्वारा रेल संबंधी अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक को पारित किया गया और इसके पश्चात राज्य सभा द्वारा विधेयक को लौटाया गया। लोक सभा में (i) विदेश; (ii) ग्रामीण विकास; और (iii) जनजातीय कार्य मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान हुआ। शेष मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों, जिन पर चर्चा नहीं की जा सकी, को सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया और उन पर मंगलवार, 27 अप्रैल, 2010 को पूर्ण मतदान हुआ। संबंधित विनियोग विधेयक को भी पुर:स्थापित किया गया, उस पर विचार किया गया तथा उसे पारित किया गया और तत्पश्चात राज्य सभा द्वारा विधेयक को लौटाया गया।

8.	इस अवधि के दौरान, राज्य सभा में (i) विद्युत; (ii) युवा कार्य और खेल; (iii) आवास और शहरी गरीबी उपशमन; (iv) उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण; और (v) गृह मंत्रालय के कार्यचालन पर चर्चा की गई। दोनों सदनों द्वारा वित्त विधेयक, 2010 पर विचार किया गया और पारित/लौटाया गया।

9.	लोक सभा में, (i) मूल्य वृद्धि; (ii) छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में के.रि.पु.बल के कार्मिकों पर माओवादियों के हाल में हुए हमले; और (iii) जनगणना, 2011 संचालित करने के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित करने की आवश्यकता पर नियम 193 के अंतर्गत तीन अल्पावधि चर्चाएं हुई। राज्य सभा में, (i) मूल्य वृद्धि; (ii) छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में के.रि.पु.बल के कार्मिकों पर माओवादियों के हमले पर गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य; और (iii) कुछ राजनीतिज्ञों के टेलीफोन टेप करने पर नियम 176 के अंतर्गत तीन अलपावधि चर्चाएं हुई। इसके अतिरिक्त, लोक सभा में 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और राज्य सभा में 5 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किए गए। राज्य सभा में श्रमिकों के प्रवास पर एक आधे घंटे की चर्चा भी हुई।

10.	सत्र के पहले भाग के दौरान दोनों सदनों द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 को प्रतिस्थापित करने वाले एक विधेयक पर भी चर्चा की गई और उसे पारित किया गया।

11.	सत्र के दौरान 37 विधेयक (27 लोक सभा में और 10 राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए। लोक सभा द्वारा 20 विधेयक और राज्य सभा द्वारा 16 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयकों की कुल संख्या 15 है। इसके अतिरिक्त, एक विधेयक राज्य सभा में वापस लिया गया। पुर:स्थापित/पारित किए गए विधेयकों की सूची संलग्न है।

*****

पंद्रहवीं लोक सभा के चौथे सत्र और राज्य सभा के 219वें सत्र (बजट सत्र)के दौरान निपटाया गया विधायी कार्य

I. लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. वित्त विधेयक, 2010
2. ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2010
3. भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2010
4. विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2010
5. विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 2010
6. विनियोग (रेल) विधेयक, 2010
7. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010
8. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2010
9. विनियोग विधेयक, 2010
10. उड़ीसा (नाम में परिवर्तन) विधेयक, 2010
11. संविधान (113वां संशोधन) विधेयक, 2010
12. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010
13. पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2010
14. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010
15. नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2010
16. विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 2010
17. उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2010
18. यातना निवारण विधेयक, 2010
19. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010
20. विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2010
21. विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2010
22. तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं, चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अनैतिक व्यवहार का प्रतिषेध विधेयक, 2010
23. शैक्षिक अधिकरण विधेयक, 2010
24. विदेशी शैक्षणिक संस्था (प्रवेश और प्रचालन का विनियमन) विधेयक, 2010

25. उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010
26. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन विधेयक, 2010
27. न्यूक्लियर क्षति के लिए सिविल दायित्व विधेयक, 2010

II. राज्य सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2010
2. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010
3. रासायनिक हथियार कन्वेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010
4. प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010
5. वैयक्तिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2010
6. लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विधेयक, 2010
7. चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट (संशोधन) विधेयक, 2010
8. कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2010
9. तमिलनाडु विधान परिषद विधेयक, 2010
10. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2010

III. लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2010
2. विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 2010
3. विनियोग (रेल) विधेयक, 2010
4. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2010
5. विनियोग विधेयक, 2010
6. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010
7. विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 2010
8. विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2010
9. विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2010
10. वित्त विधेयक, 2010
11. राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक, 2009
12. कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2009
13. उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2010

14. नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2010
15. ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2010
16. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2009
17. तमिलनाडु विधान परिषद विधेयक, 2010
18. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2009
19. बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 2010
20. यातना निवारण विधेयक, 2010

IV. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. संविधान (108वां संशोधन) विधेयक, 2008
2. विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2010
3. विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 2010
4. विनियोग (रेल) विधेयक, 2010
5. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2010
6. विनियोग विधेयक, 2010
7. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010
8. विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 2010
9. विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2010
10. विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2010
11. बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 2008
12. वित्त विधेयक, 2010
13. राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक, 2010
14. उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2010
15. तमिलनाडु विधान परिषद विधेयक, 2010
16. कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2009

V. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए/लौटाए गए विधेयक

1. विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2010
2. विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 2010
3. विनियोग (रेल) विधेयक, 2010

4. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2010
5. विनियोग विधेयक, 2010
6. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010
7. विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 2010
8. विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2010
9. विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2010
10. वित्त विधेयक, 2010
11. राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक, 2010
12. उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2010
13. कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2009
14. बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 2010
15. तमिलनाडु विधान परिषद विधेयक, 2010

VI. राज्य सभा में वापस लिया गया विधेयक

1. लॉटरी (प्रतिषेध) विधेयक, 1999